

**प्रारूप 1**

{ नियम 5 (1) और (2) तथा नियम 17 (3) देखें }

घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 (2005 का 43) की धारा 9 (ख) और धारा 37 (2) (ग) के अधीन घरेलू घटना प्रतिवेदन

## 1. परिवादी / व्यथित व्यक्ति के विवरण :-

- (1) परिवादी / व्यथित व्यक्ति का नाम : .....
- (2) आयु : .....
- (3) शामिल प्राती कौटुम्बिक गृह का पता : .....
- (4) वर्तमान पता : .....
- (5) दूरभाष नं. यदि कोई हो : .....

## 2. प्रत्यर्थियों के ब्यौरे :

क्रम सं.	नाम	व्यथित व्यक्ति से संबंध	पता	दूरभाष नं. यदि कोई हो
----------	-----	-------------------------	-----	-----------------------

## 3. व्यथित व्यक्ति की सन्तान यदि कोई हो का विवरण :-

- (क) सन्तान की संख्या : .....
- (ख) सन्तानों के विवरण :-

नाम	आयु	लिंग	वर्तमान में किसके पास निवासरत
-----	-----	------	-------------------------------

## 4. घरेलू हिंसा की घटनाएँ :-

क्रम सं.	हिंसा की तारीख स्थान और समय	व्यक्ति जिसने घरेलू हिंसा कारित की	घटना का प्रकार	टिप्पणी
----------	-----------------------------	------------------------------------	----------------	---------

किस प्रकार की उपहति कारित की गई है कृपया विनिर्दिष्ट करें ।

● कृपया लागू होने वाले स्तम्भ के सामने (✓) चिन्हित करें

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
-----	-----	-----	-----	-----

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			<input type="checkbox"/>	नाम रखना।
			<input type="checkbox"/>	आपको विद्यालय, महाविद्यालय या किसी अन्य शैक्षिक संस्था में नहीं जाने के लिये दबाव डालना।
			<input type="checkbox"/>	आपको नौकरी करने से रोकना।
			<input type="checkbox"/>	आपको घर के बाहर जाने से रोकना।
			<input type="checkbox"/>	आपको किसी विशिष्ट व्यक्ति से मिलने से रोकना।
			<input type="checkbox"/>	आपको आपकी इच्छा के विरुद्ध विवाह करने पर दबाव डालना।
			<input type="checkbox"/>	आपको अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने से रोकना।
			<input type="checkbox"/>	आपको उसकी/उनकी अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के लिए दबाव डालना।
			<input type="checkbox"/>	कोई अन्य मौखिक या भावनात्मक दुरुपयोग
			<input type="checkbox"/>	.....
			<input type="checkbox"/>	(iv) आर्थिक हिंसा :-
			<input type="checkbox"/>	आपका और आपकी सन्तानों का भरणपोषण करने के लिये धन प्रदान नहीं करना।
			<input type="checkbox"/>	आपको और आपकी सन्तानों के लिये खाना, कपड़ा, दवाईयाँ इत्यादि नहीं देना।
			<input type="checkbox"/>	आपको घर से बाहर रहने के लिए विवश करना।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
-----	-----	-----	-----	-----

दहेज के बारे में कोई अन्य विवरण कृपया विनिर्दिष्ट करें .....

.....  
 क्या दहेज के सामानों, स्त्रीधन इत्यादि के विवरण इस प्रारूप के साथ संलग्न किये गये है।

हाँ  नहीं

(vi) आपको या आपकी सन्तानों के विरुद्ध घरेलू हिंसा कृत्यों के बारे में कोई अन्य जानकारी

.....  
 (परिवादी/व्यथित व्यक्ति के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान)

5. संलग्न दस्तावेजों की सूची :-

दस्तावेज का नाम	तारीख	कोई अन्य ब्यौरा
चिकित्सा वैधिक प्रमाण-पत्र		
चिकित्सा प्रमाण-पत्र या कोई अन्य नुस्खा		
स्त्रीधन की सूची		
कोई अन्य दस्तावेज		

6. आदेश, जिसकी घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 के अधीन आपको आवश्यकता है :-

क्रम सं.	आदेश हाँ/नहीं	कोई अन्य
(1) धारा 18 के अधीन संरक्षण आदेश		
(2) धारा 19 के अधीन निवास आदेश		
(3) धारा 20 के अधीन भरण पोषण का आदेश		
(4) धारा 21 के अधीन अभिरक्षा आदेश		
(5) धारा 22 के अधीन प्रतिकर का आदेश		
(6) कोई अन्य आदेश (विनिर्दिष्ट करें)		

7. सहायता, जिसकी आपको आवश्यकता है :-

क्रम सं.	उपलब्ध सहायता	हाँ/नहीं	सहायता की प्रकृति
(1)	(2)	(3)	(4)
(1) परामर्शदाता			
(2) पुलिस सहायता			